



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-01, सेक्टर-नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नोएडा सिटी
गौतमबुद्ध नगर 201310

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है प्राधिकरण की-112वीं बोर्ड बैठक केमद संख्या-112/33, दिनांक 07.07.2018 में भूखण्ड संख्या-29ए, सैक्टर-नॉलेजपार्क-3 को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिससे ग्रामवासियों के आबादी विस्तार के भूखण्डों का नियोजन किया जा सके। उक्त के क्रम में सैक्टर नॉलेजपार्क-3 के तलपट मानचित्र में संशोधित अनुमोदित किये गये। अनुमोदित संशोधनों पर आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त संशोधनों पर यदि कोई आपत्ति/सुझाव हों तो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से साँयकाल 6.00 बजे तक प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल पर उप महाप्रबन्धक (नियोजन), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप से प्रेषित किया जा सकता है। अनुमोदित संशोधनों को दर्शाते हुए मानचित्र प्राधिकरण की बैबसाइट www.greaternoidaauthority.in एवं प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल पर उपलब्ध रहेगा। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति/संस्था को अपना नाम, पता व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

मद सं०-112/सैक्टर नॉलेजपार्क-3 के तलपट मानचित्र में कतिपय संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायररिट याचिका संख्या 4506/2015 सावित्री बनाम उ० प्र० सरकार के क्रम में जारी आदेशानुसार लम्बित आबादी विस्तार के प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये गये थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं ग्रामवासियों के अनुरोध के क्रम में आबादी विस्तार के 6 प्रतिशत भूखण्डों के लम्बित प्रकरणों को समयान्तर्गत निष्पादित कर भूखण्डों का नियोजन प्राथमिकता पर किया जाना है। कतिपय ग्रामों में आबादी विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसे ग्रामों में ग्रामवासियों को प्राथमिकता पर भूखण्ड को उपलब्ध कराने हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है जो सैक्टरों में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को समाप्त करते हुए आबादी विस्तार के प्रयोजन हेतु आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।


वर्तमान में ग्राम तुगलपुर के ग्रामवासियों द्वारा आबादी विस्तार के भूखण्ड ग्राम तुगलपुर में नियोजित किये जाने हेतु बार-2 अनुरोध किया जा रहा है। ग्राम में भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासियों के भूखण्ड नियोजित नहीं किये जा पा रहे हैं। सैक्टर नॉलेजपार्क-1,2,3 का भू-उपयोग महायोजना-2021 के अनुरूप संस्थागत है तथा महायोजना-2021 के अध्याय-10 के अनुसार आबादी विस्तार के भूखण्डों के नियोजन हेतु संस्थागत भूउपयोग के अन्तर्गत अनुमन्त्र गतिविधि है।

अतः समयक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या-29ए, सैक्टर-नॉलेजपार्क-3 को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये जाना उचित होगा, जिससे ग्रामवासियों के आबादी विस्तार के भूखण्डों का नियोजन किया जा सके। (समिति की संस्तुति संलग्नक-क पर संलग्न है।)

उपरोक्त अनुमोदन के क्रम में भूखण्ड संख्या-29ए, सैक्टर-नॉलेजपार्क-3 को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये जाने का संशोधन तलपट मानचित्र में समायोजन कर लिया गया है। समायोजनोपरान्त संशोधित तलपट मानचित्र का क्षेत्रफल विवरण निम्नानुसार है:-

	विवरण	अनुमोदित क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रस्तावित क्षेत्र०	प्रस्तावित संशोधन
1	TOTAL OF KNOWLEDGE PARK I,II,III	828.27	828.27	+ 00
2	AREA OF THE EXISTING ABADI	38.74	38.74	+ 00
3	AREA OF THE PROPOSED ABADI	32.54	35.1	+2.56
	AREA OF LOHIA REVULET	12.16	12.16	+ 00
	AREA UNDER H.T. LINE	10.54	10.54	+ 00
	GREEN BELT ALONG RIVULET	33.02	33.02	+ 00
	KABRISTAN	2.03	2.03	+ 00
	AREA TO BE SPOT ZONED	22.33	22.33	+ 00
	NET AREA	676.91	674.35	-2.56
	AREA UNDER KNOWLEDGE PARK-I	117.77	117.77	+ 00
	COMMON FACILITIES	0.56	0.56	+ 00
	OTHER OPEN SPACES	2.67	2.67	+ 00
	AREA UNDER ROAD	9.63	9.63	+ 00
	TOTAL AREA	130.63	130.63	+ 00
	AREA UNDER KNOWLEDGE PARK-II	124.51	124.51	+ 00
	COMMON FACILITIES	6.31	6.31	+ 00
	AREA UNDER ROAD	34.93	34.93	+ 00
	TOTAL AREA	165.75	165.75	+ 00
	AREA UNDER KNOWLEDGE PARK-III	308.33	308.33	+ 00
	COMMON FACILITIES	13.25	13.25	+ 00
	AREA UNDER ROAD	58.95	58.95	+ 00
	TOTAL AREA	380.53	380.53	+ 00

तदनुसार सैक्टर नॉलेजपार्क-3 का संशोधित तलपट मानचित्र संलग्नक-ख पर संलग्न है। तत्क्रम में भूखण्ड संख्या-29ए, सैक्टर-नॉलेजपार्क-3 को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने एवं विक्रय योग्य क्षेत्रफल में कमी का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है। अनुमोदनोपरान्त जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।



POLICE STATION CUM
SUB FIRE STATION

POLICE CHOWKI

PROPOSED EXPRESSWAY

NOTE
 1. THE FAR FOR THE AREA HAS BEEN KEPT 125 IN ACCORDANCE WITH THE BUILDING BYLAWS.
 2. THE GROUND COVERAGE AND HEIGHT MANNER IS DEFINED IN SUCH A MANNER AS TO BE VISIBLE FROM THE BACK AREA VISIBLE FROM THE EXPRESSWAY.
 3. THE SETBACKS HAVE BEEN DEFINED WITH THICK PLAN LINES AND ENFORCED STRICTLY.

AREA	AREA (SQ. METERS)	AREA (SQ. FEET)
TOTAL AREA OF DEVELOPMENT PHASE I & II	12,80,000	14,80,000
AREA OF THE EXPRESSWAY	1,20,000	1,38,000
AREA OF THE POLICE STATION	2,50,000	2,88,000
AREA OF THE POLICE CHOWKI	1,00,000	1,15,000
AREA OF THE WATER TOWER	50,000	58,000
AREA OF THE ELECTRICITY SUBSTATION	50,000	58,000
AREA OF THE OTHER SERVICES	1,00,000	1,15,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE I	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE II	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE III	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE IV	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE V	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE VI	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE VII	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE VIII	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE IX	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE X	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XI	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XII	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XIII	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XIV	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XV	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XVI	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XVII	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XVIII	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XIX	1,17,000	1,35,000
AREA OF THE DEVELOPMENT PHASE XX	1,17,000	1,35,000

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR INSTITUTIONAL AREA PHASE 2

SCALE: 1:1000

NO.	REVISIONS	DESCRIPTION	DATE
1.	ISSUED FOR TENDER		12-11-2011
2.	REVISED		12-11-2011
3.	REVISED		12-11-2011
4.	REVISED		12-11-2011
5.	REVISED		12-11-2011
6.	REVISED		12-11-2011
7.	REVISED		12-11-2011
8.	REVISED		12-11-2011
9.	REVISED		12-11-2011
10.	REVISED		12-11-2011
11.	REVISED		12-11-2011
12.	REVISED		12-11-2011
13.	REVISED		12-11-2011
14.	REVISED		12-11-2011
15.	REVISED		12-11-2011
16.	REVISED		12-11-2011
17.	REVISED		12-11-2011
18.	REVISED		12-11-2011
19.	REVISED		12-11-2011
20.	REVISED		12-11-2011
21.	REVISED		12-11-2011
22.	REVISED		12-11-2011
23.	REVISED		12-11-2011
24.	REVISED		12-11-2011
25.	REVISED		12-11-2011
26.	REVISED		12-11-2011
27.	REVISED		12-11-2011
28.	REVISED		12-11-2011
29.	REVISED		12-11-2011
30.	REVISED		12-11-2011
31.	REVISED		12-11-2011
32.	REVISED		12-11-2011
33.	REVISED		12-11-2011
34.	REVISED		12-11-2011
35.	REVISED		12-11-2011
36.	REVISED		12-11-2011
37.	REVISED		12-11-2011
38.	REVISED		12-11-2011
39.	REVISED		12-11-2011
40.	REVISED		12-11-2011
41.	REVISED		12-11-2011
42.	REVISED		12-11-2011
43.	REVISED		12-11-2011
44.	REVISED		12-11-2011
45.	REVISED		12-11-2011
46.	REVISED		12-11-2011
47.	REVISED		12-11-2011
48.	REVISED		12-11-2011
49.	REVISED		12-11-2011
50.	REVISED		12-11-2011